कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 420 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 17/08/ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में चैलछिना - बसन्तपुर-जैंती मोटर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.602 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/38787/2019।

सन्दर्भ :- आपका ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 23.12.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 401 / 12-1 दिनांक 04.08.2023 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

2023

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 401 / 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 04/08/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय : जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या 38787 / 2019)।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक 280 / 12–1(2) दिनांक 31.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के कम में सादर अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में बिन्दु सं0 1 से 3 तक की सूचना चाही गयी है जिसे निम्नानुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है–

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	क्या चैलछीना गांव पूर्व मे किसी मोटर मार्ग से जुडा है या नही। आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में स्थिति अस्पष्ट है।	चैलछीना गांव पूर्व में काफलीखान–चेलछीना–भनोली मोटर मार्ग से जुड़ा है। प्रमाण पत्र में भी स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
2.	भारत सरकार के पत्र में उक्त प्रस्ताव में आपके द्वारा निरीक्षण कर, जांच आख्या / निरीक्षण रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु आपके द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, साथ ही उक्त प्रमाण पत्र में भी प्रस्तावित मार्ग में औचित्य की स्थापना नही हो पा रही है। अतः निरीक्षण रिर्पोट प्रस्तुत करें।	संशोधित जांच आख्या / निरीक्षण रिर्पोट का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
3.	आपका कथन है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से आच्छादित गांव से तहसील मुख्यालय जैंती की दूरी कम हो जायेगी, परन्तु दूरी कितनी कम हो जायेगी, इसका उल्लेख नही है।	संयुक्त निरीक्षण के दौरान सहायक अभियन्ता श्री कैलाश सिंह रौतेला द्वारा अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग के निर्माण से आच्छादित गांव से तहसील मुख्यालय जैंती की दूरी 23 किमी0 कम हो जायेगी।

अतः पूर्व प्रेषित प्रस्ताव की प्रतियां उक्त संदर्भित पत्र के साथ इस कार्यालय को प्राप्त नही हुए है। जो वृत्त कार्यालय में ही है।

सलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,अल्मोडा।

प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोडा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 23.12.2022 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा ली गयी वी0सी0 में पूछे गये प्रश्न, कि उक्त मोटर मार्ग से आच्छादित गांव गूगल मैप के अनुसार पूर्व में निर्मित वन मोटर मार्ग के आस–पास लगे दिखाई दे रहे है, के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा अधोहस्ताक्षरी/प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा को मौके का संयुक्त निरीक्षण के मौखिक आदेश के कम में दिनांक 08.02.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री कैलाश सिंह रौतेला, सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा एवं कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोडा के साथ मौके का निरीक्षण किया गया एवं मौके पर नोडल अधिकारी द्वारा पूछे गये बिन्दु– आच्छादित गांव के आस–पास पूर्व में ही उक्त मोटर मार्ग के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुवार सूचना प्रेषित है–

1– चैलछीना गांव पूर्व में काफलीखान–चेलछीना–भनोली मोटर मार्ग से जुड़ा है।

2– संयुक्त निरीक्षण में सहायक अभियन्ता श्री कैलाश सिंह रौतेला द्वारा अवगत कराया गया कि चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग अस्तिव में आने से तहसील मुख्यालय जैंती की दूरी 23 किमी0 कम हो जायेगी।

(ह0)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।